

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3220]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 3220]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

का.आ. 4022(अ).—केंद्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948(1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के प्रथम पंरतुक के खंड (iii) के अनुसरण में श्री दिलीप कुमार मोहंती, महाप्रबंधक (आपरेशनस), एनडीएमसी आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार, डिस्ट्रिक्ट बस्तर, छत्तीसगढ़ - 494001 को उक्त स्टील प्लांट के कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिभोगी समझा जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 21 जनवरी, 2015 में का.आ. सं 277(अ), तारीख 29 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, “श्री प्रशांत दास, महाप्रबंधक” शब्दों के स्थान पर “श्री दिलीप कुमार मोहंती, महाप्रबंधक (आपरेशनस)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 6(4)/2008-आरएम-I जिल्द-II]

रसिका चौबे, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2018

S.O. 4022(E).—In pursuance of clause (iii) to the first proviso of clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Dilip Kumar Mohanty, General Manager (Operations), NMDC Iron and Steel Plant, Nagarnar, District Bastar, Chhattisgarh – 494001 to manage the affairs of the said Steel Plant, who shall be deemed to be the occupier for the purposes of the said Act and for the said purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, dated the 21st January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 277(E), dated the 29th January, 2015 namely:-

In the said notification, for the words “Shri Prasant Dash, General Manager”, the words and brackets “Shri Dilip Kumar Mohanty, General Manager (Operations)” shall be substituted.

[F. No. 6(4)/2008-RM-1 Vol. II]

RASIKA CHAUBE, Addl. Secy.